UPMO010060452026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं**0–01**, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अनिल कुमार–IV, (एच 0 जे0 एस 0) **J.O. Code–UP6124**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1629/2026

गुरमीत देओल उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र स्व 0 लिपेन्द्र सिंह, निवासी प्रकाश नगर, लाईनपार, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या–276/2026,
धारा–191(2), 191(3), 190,
109(1), 115(2), 352, 351(3)
बी0 एन 0 एस 0
थाना–मझोला, जिला–मुरादाबाद।

27.05.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र, आवेदक/अभियुक्त गुरमीत देओल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–276/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के सगे भाई/ पैरोकार दीक्षान्त देओल पुत्र लिपेन्द्र सिंह द्वारा शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा निशान्त सिंडल द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 19.03.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, वह निशांत सिंडल, ग्राम शाहपुर तिगरी थाना मझोला जिला मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 18.03.2026 को समय करीब 08:30 बजे उसके पास उसके दोस्त पार्थ का फोन आया, उसने वादी को एम.जी.आर. होटल पर मिलने के लिए बुलाया। जब वह वहाँ पहुँचा, तो देखा कि वहाँ पर उसके दोस्त शान्तनु प्रणव भारती व पार्थ के साथ 10–15 लड़के गाली गलौच कर रहे थे। जब उन्होंने विरोध किया, तो उन लोगों ने उसे व उसके दोस्तों

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.05.27 17:13:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के साथ गाली गलौच करते हुए अपने हाथ में लिए बैल्ट व लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे वादी के सिर व शरीर पर गम्भीर चोटे आईं। वह लोग जब वहाँ से भागने लगे, तो उन लोगों ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चलाई, जिससे वह लोग बाल–बाल बचे। उसके बाद वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गये। उसके द्वारा उक्त लोगों के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि उक्त घटना कारित करने वालों लोगों में से यश ठाकुर, गुरमीत चौधरी, रिषभ ग्वाल, कृष्णा थे। बाकी लोगों का उसे अभी नहीं पता। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर उक्त मुकदमा अभियुक्तगण यश ठाकुर, गुरमीत चौधरी, रिषभ ग्वाल, कृष्णा व 10–11 अन्य अज्ञात लड़कों के विरुद्ध धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि, आवेदक को मिथ्या रूप से आरोपित किया गया है, वह निर्दोष है, उसने कोई आपराध कारित नहीं किया है। उसका कोई हिंसात्मक कृत्य नहीं दिखाया गया है। मजरूब के जो चोटें आयी हैं, वह साधारण प्रकृति की है। सह–अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार हो चुकी हैं। वह दिनांक 01.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके साथियों को घेरकर, उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायर किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– अभियोजन के अनुसार, प्रस्तुत प्रकरण अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके साथियों को घेरकर, उनके साथ मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायर करने से सम्बंधित है। अभियोजन के अनुसार दिनांक 18.03.2026 को वादी के दोस्त पार्थ ने फोन करके वादी को एम.जी.आर. होटल पर मिलने के लिए बुलाया। जब वादी वहाँ पहुँचा, तो देखा कि वहाँ पर वादी के दोस्त शान्तनु, प्रणव भारती व पार्थ के साथ 10–15 लड़के गाली गलौच कर रहे थे। जब उन्होंने विरोध किया, तो उन लोगों ने वादी व उसके दोस्तों के साथ गाली गलौच करते हुए अपने हाथ में लिए बैल्ट व लोहे की रॉड से वार कर दिया, जिससे वादी के सिर व शरीर पर गम्भीर चोटे

आईं। वादी एवं उसके साथी जब वहाँ से भागने लगे, तो अभियुक्तगण ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चलाई, जिससे वादी एवं उसके साथी बाल–बाल बचे। उसके बाद अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गये। अर्थात् अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत मामले में किसी भी व्यक्ति के आग्नेयास्त्र की कोई चोट कारित नहीं हुई है। अभियोजन के अनुसार वादी/मजरूब निशान्त सिंडल की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कुल 07(सात) चोटें आना अंकित हैं, जिनमें से डॉक्टर द्वारा चोट सं0–4, 5, 6, 7 को साधारण प्रकृति की होना अंकित किया गया है तथा चोट सं0–1, 2 व 3 को निगरानी में रखते हुए x–rays Skull कराये जाने की सलाह दी गयी थी। पूरक चिकित्सीय आख्या में डॉक्टर द्वारा x–rays Skull एन.ए.डी. बताते हुए, चोट सं0–1, 2 व 3 को साधारण प्रकृति की होना अंकित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.04.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। जहां तक अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का एक अन्य मुकदमे का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया, जिससे आवेदक/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त गुरमीत देओल द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–276/2026, अन्तर्गत धारा–191(2), 191(3), 190, 109(1), 115(2), 352, 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद, स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को मुबिलग–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

(i)– आवेदक/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

(ii)– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

(iii)– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

(iv)– माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0

2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत आवेदक/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।